Continuation Note Sheet

18.10.2024

वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाये जाने बाबत पर पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आपत्ति यह है कि भू.–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा मौका निरीक्षण में बनाये गये नक्शा में भारत माला सडक का विवरण नहीं दिया गया है ना ही नजरी नक्शा में भारत माला सडक दिखाई गई है। इसलिए पुनः रिपोर्ट मंगवाई जावे।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 08.02.2024 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट को तैयार करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार की गई है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में भिवाजई गई है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि का होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र "तहसीलदार श्रीगंगानगर से पुनः रिपोर्ट मंगवाई जावे" खारिज किया जाता है।

बहस मूल प्रार्थना पत्र 251–क पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस का विधि के परिप्रेक्ष्य में मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवम् तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 चक 1 वाई, पटवार हल्का 3 वाई, भू.अभिलेख निरीक्षक कालियां खाता संख्या 6/58 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही खाते के सहखातेदार है। जिसमें प्रत्येक काश्तकार का संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक ईंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का हक व हिस्सा होता है। प्रार्थी की भूमि जिस खाता में है उसी खाता में अप्रार्थीगण सहकाश्तकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में प्रार्थी व अप्रार्थी यदि एक ही खाता में सहकाश्तकार हो तो उस खाता में से नया रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता। चूंकि विभाजन के नियमों में रास्ता दिये जाने के स्पष्ट प्रावधान है। अतः प्रार्थी अपने खाता का विभाजन करवावे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिनांक 18.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner